

न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर०ए०एस० अति०संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 105/2018/अपील/एलआरएक्ट/कोटा

तारीख दायरा: 27.12.2018

अन्तर्गत धारा: 76 एल.आर.एक्ट

उनवान

1. भवंरलाल आत्मज नन्दा जाति लश्करी
2. सुगना बाई पत्नी बजरंगलाल जाति लश्करी
3. बजरंगलाल आ० हरदेव जाति लश्करी निवासीगण ग्राम नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

...अपीलांत

बनाम

1. नाथूलाल आत्मज कन्हैयालाल उर्फ कान्हा माता छोटी बाई जाति लश्करी निवासी पांचडा की झोपडिया तहसील दीगोद जिला कोटा-राज०।
2. भूरीबाई पुत्री भीमा पत्नी रामनाथ जाति लश्करी निवासी गढेपान की झोपडिया तहसील दीगोद जिला कोटा (मृतक) मृत्यु दिनांक 16.7.2018
- 2/1-किशोरीलाल पुत्र भूरीबाई पुत्र रामनाथ
- 2/2-फुलचंद पुत्र भूरीबाई पुत्र रामनाथ
- 2/3-कनफूल पुत्री भूरीबाई पत्नी चौथमल निवासीगण गढेपान की झोपडिया तहसील दीगोद जिला कोटा।
- 2/4-राजबाई पुत्री भूरीबाई पत्नी पूरणमल जाति लश्करी नि० जगन्नाथ सरपंच के पास नयानोहरा तह. लाडपुरा जिला कोटा
- 2/5-चतरुबाई पुत्री भूरीबाई पत्नी नन्दलाल जाति लश्करी नि० आमा की झोपडिया अमलसरा पलायथा जिला बांरा राज०।
- 2/6-(मृतक) प्रभूलाल पुत्र भूरीबाई पुत्र रामनाथ जाति लश्करी निवासी गढेपान की झोपडिया तहसील दीगोद जिला कोटा।
- 2/6/1-छोटीबाई पत्नी प्रभूलाल जाति लश्करी निवासी गढेपान की झोपडिया तहसील दीगोद जिला कोटा।
- 2/6/2-सुनीता पुत्री प्रभूलाल पत्नी सुरेश जाति लश्करी निवासी छोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
- 2/6/3-जयन्तीलाल पुत्र प्रभूलाल जाति लश्करी निवासी गढेपान की झोपडिया तहसील दीगोद जिला कोटा।
- 2/6/4-गुडडी बाई पुत्री प्रभूलाल पत्नी मुकुट जाति लश्करी नि० रघुवीरपुरा पो. पनवाड तह. खानपुर जिला झालावाड।
3. श्रवणी पुत्री भीमा पत्नी किशनलाल जाति लश्करी निवासी नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज०।
4. घांसी बाई पुत्री चतुर्भुज जाति लश्करी निवासी ड्रैन के पास ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा।
5. रेखा पुत्री चतुर्भुज जाति लश्करी निवासी हेण्ड पम्प के पास बस्ती आमा तहसील अन्ता जिला बांरा।
6. छोटी आत्मज मन्ना जाति लश्करी
7. घांसी आत्मज मन्ना जाति लश्करी
8. चम्पा पुत्री मन्ना जाति लश्करी
9. पप्पू माता बच्ची बाई नाना मन्ना जी जाति लश्करी निवासी नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
10. धनराज माता बच्ची बाई नाना मन्ना जाति लश्करी निवासीगण किशनपुरा तकिया तह० लाडपुरा जिला कोटा।
11. देवीलाल आत्मज भीमा जाति लश्करी निवासी नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
12. कोटा एज्युकेशन एण्ड रूरल डवलपमेंट सोसायटी बी 65 बल्लभनगर कोटा जरिये अध्यक्ष राजवर्धन आ० विष्णुशंकर महाजन निवासी बी-65 बल्लभनगर कोटा
13. राज० सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।

... रेस्पोंडेन्स

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलांत

श्री ओमप्रकाश प्रजापति अभिभाषक रेस्पोंड कम-1

श्री जगदीश खण्डेलवाल अभि० रेस्पोंड कम-2/1ता 2/5 व 2/6/1ता 2/6/4 एवं 3,4,5,6 7,8,9,10

श्री अशोक गुप्ता अभिभाषक रेस्पोंड कम-11

:::निर्णय:::


दिनांक 24.7.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं० 103/2014 (अपील) अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान नाथूलाल बनाम भवंरलाल वगैरा मे पारित निर्णय दिनांक 13.11.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 एलआरएक्ट मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

अति० संभागीय आयुक्त
कोटा




1 संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं, कि नाथूलाल रेस्पो0 क्रम-1 ने तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 1.10.1990 को नामा0 सं0 30 ग्राम बोरखंडी तह0 लाडपुरा द्वारा " मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व वसीयतनामा अनुसार मृतक के 1/3 हिस्से पर भंवरलाल का नाम स्वीकार है शास्ति के रू0 5/-" बावत पारित आदेश की अप्रसन्नता से प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर कोटा में राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत दिनांक 21.4.2014 को अपील इस आशय की पेश की गई कि परीक्षण न्यायालय ने ग्राम बोरखंडी तहसील लाडपुरा स्थिति ख0 नं0 76 की 1.54 है0, ख0 नं0 79 की 0.28 है0, ख0 नं0 80 की 0.05 है0 कुल किता 3 की 1.87 है0 भूमि का नामा0 सं0 30 मृतक पारीबाई के स्वर्गवास के पश्चात वसीयत के आधार पर भंवरलाल के पक्ष में तस्दीक करने में त्रुटि की है। इंतकाल तस्दीक करते समय इस बावत का कतई ध्यान नहीं रखा कि कि वसीयत दिनांक 7.6.1982 ग्राम नयानोहरा की भूमि के संबंध में भंवरलाल के पक्ष में लिखना बताया गया जबकि इंतकाल ग्राम नयानोहरा स्थिति भूमि का न खोला जाकर ग्राम बोरखंडी की पुराने नम्बर नये खसरा नम्बरान बताकर भंवरलाल के पक्ष में आपस की मिली भगत कर इंतकाल सं0 30 तस्दीक करवा लिया जो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि ग्राम बोरखंडी की भूमि के बावत कोई वसीयत आलेखित नहीं गई है। उक्त इंतकाल में मृतक भीमा के परिवार का सजरा अंकित नहीं किया है जबकि भीमा के मृत्यु के समय अपीलांट की माता छोटी, भूरी व श्रवणी पुत्रियां मौजूद थी। ग्राम बोरखंडी की भूमि में से भीमा के 1/3 हिस्से की भूमि पारीबाई बेवा के नाम गलत रूप से दर्ज होने के कारण भंवरलाल ने पारीबाई से उक्त भूमि की वसीयत भीमा का पुत्र बताकर अपने पक्ष में दिनांक 7.6.1982 को आलेखित करा कर पंजीयन करवाली और उसके आधार पर ग्राम बोरखंडी की समस्त भूमियां अपने नाम दर्ज करवाली और उसके आधार पर 1/3 हिस्से की भूमि को भंवरलाल ने अपने नाम नामा0 सं0 30 अवैध रूप से दर्ज करवा लिया और उसके आधार पर ग्राम बोरखंडी की समस्त भूमियां अपने नाम दर्ज करवाली बाद में अन्यत्र बेचान कर दिया। उनमें से दिनांक 9.2.2004 को ख0 नं0 76 की 1.48 है0 भूमि जरिये विक्रय पत्र सुगनाबाई को दिनांक 30.5.05 को ख0 नं0 79 की 0.28 है0 भूमि जरिये विक्रय पत्र बजरंगलाल को बेचान कर दी दिनांक 21.11.2005 को ख0 नं0 80 की 0.05 है0 भूमि जरिये विक्रय पत्र बजरंगलाल को बेचान कर दी तथा ख0 नं0 76 रकबा 0.06 है0 भूमि जरिये विक्रय पत्र कोटा एजुकेशन को बेचान कर दी जो अवैध है। उक्त बेचान प्रभावहीन होने से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। परीक्षण न्यायालय द्वारा बिना सूचना दिये नामा0 सं0 30 तस्दीक किया गया इस कारण परीक्षण न्यायालय के आदेश की सर्वप्रथम जानकारी 10.2.2014 को होने पर नकल प्राप्त कर रूपयों के इंतजाम कर लगने वाला समय मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य पेश कर अपील स्वीकार कर नामा0 सं0 30 ग्राम बोरखंडी खारिज कर मृतक खातेदार भीमा के 1/3 हिस्से की भूमि का नामा0 उनके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर कोटा ने निर्णय दिनांक 13.11.2018 से नाथूलाल द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर नामान्तरकरण 30 खारिज कर प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को विवादित भूमि से संबंधित विभिन्न न्यायिक प्रकरणों की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर समस्त प्रभावित पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना इंतकाल सं0 30 दिनांक 1.10.90 ग्राम बोरखंडी को खारिज करने का आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया कि मृतक भीमा के स्वर्गवास के बाद उक्त आराजी का उनकी पत्नी पारी बाई के नाम इंतकाल तस्दीक किया गया जिसमें किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। मृतक पारी बाई की पुत्रियां भूरी बाई व श्रवणी बाई द्वारा घोषणा खातेदारी का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में पेश किया उक्त गुणावगुण पर खारिज किया गया जिसके विरुद्ध भूरीबाई व श्रवणीबाई द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील पेश की उक्त अपील को भूरीबाई व श्रवणी द्वारा विद्धो किया गया इस प्रकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा का आदेश एवं डिक्री बहाल रहने के बावजूद भी रेस्पो0 की अपील स्वीकर कर ली जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। उक्त आराजी के संबंध में रेस्पो0 क्रम-1 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमें ही पक्षकारान के मध्य विवाद का अंतिम रूप से निस्तारण हो सकेगा। रेस्पो0 क्रम-1 द्वारा वर्ष 2014 में वर्ष 1990 के इंतकाल की लगभग 24 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की है। इस अवधि में वर्णित आराजी का बेचान हो चुका है जिनको पक्षकार बनाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि आलेखित वसीयत दिनांक 7.6.1982 के निरस्तीकरण की कार्यवाही सिविल न्यायाधीश (क, ख) उत्तर कोटा में जेरकार है उक्त कार्यवाही में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रदान कर रखा है जिसका अंकन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो रहा है। उक्त स्थगन होने के बावजूद भी इंतकाल खारिज करने का आदेश पारित कर त्रुटि की है। अपीलांट ने रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का मय शपथ पत्र विस्तृत रूप से जवाब प्रस्तुत किया था जिसका रेस्पो0 क्रम-1 द्वारा किसी प्रकार का खण्डन नहीं करने बावजूद भी 42 वर्षों बाद प्रस्तुत अपील में मियाद कण्डोन किये जाने का आदेश प्रदान कर त्रुटि की है। धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र में दिनांक 6.12.2000 से 10.2.14 तक की अवधि को कण्डोन करने की सहायता चाही गई जबकि अपील दिनांक 5.3.14 को प्रस्तुत की गई। इस प्रकार दिनांक 28.2.2014 से 5.3.2014 के लगे समय को कण्डोन किये जाने की किसी प्रकार की सहायता नहीं चाहने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील कण्डोन किये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर त्रुटि की है। रेस्पो0 क्रम-1 द्वारा अपने अपील में मेमो में


नाथूलाल रेस्पो0
कोटा

वर्णित इंतकाल की जानकारी 10.2.2014 को अपील मैमो के मद नं० 9 में वर्णित किया है तथा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में जानकारी होना वर्णित किया है उक्त तथ्यों को अपीलांत द्वारा लिखित बहस में व जवाब धारा 5 मियाद अधि० में विस्तृत रूप से उल्लेखित करने के बावजूद भी अपील को नजरअंदाज कर अपील को अंदर मियाद होना मानते हुये स्वीकार कर लिया जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। रेस्पों छोटीबाई का पुत्र हो व छोटीबाई के रेस्पों के अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं हो उक्त तथ्य के संबंध में किसी प्रकार की साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है जिसकी आपत्ति अपीलांत द्वारा लिखित बहस में की गई जिसका किसी प्रकार से रेस्पों क्रम-1 द्वारा खण्डन नहीं किया गया। रेस्पों क्रम-1 का वर्णित आराजी से कभी कोई संबंध व आराजी पर कब्जा नहीं रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.3.2018 वास्ते न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा एवं जेरकार निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर तक स्थगित किये जाने बावत खारिज कर त्रुटि की है। अपीलांत द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही जेरअपील आदेश पारित कर त्रुटि की है। इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि अपीलांत द्वारा प्रस्तुत न्यायालय अति० जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-3 कोटा में जेर वाद एवं अपीलांत द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में अनुसंधान अधिकारी द्वारा की गई जांच के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिन्हें नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय पारित कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान नहीं दिया कि इंतकाल नम्बर 19 से मृतक भीमा के उसकी बेवा पारीबाई के नाम तत्पश्चात पारीबाई द्वारा आलेखित वसीयत दिनांक 7.6.1982 से पारीबाई के स्वर्गवास के बाद इंतकाल नं० 30 दिनांक 1.10.1990 से अपीलांत क्रम-1 के नाम इंतकाल तस्दीक किया गया तत्पश्चात अपीलांत क्रम-1 द्वारा ग्राम बोरखण्डी स्थित आराजी अपीलांत क्रम-2 सुगनाबाई को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 9.2.2004 से बेचान कर कब्जा दिया गया व शेष 0.06 है० आराजी रेस्पों क्रम-13 को दिनांक 26.11.2002 को बेचान किया गया जिसका इंतकाल नम्बर 186 दिनांक 2.5.2003 तस्दीक किया गया। अपीलांत सं० 2 के पक्ष में आलेखित विक्रय पत्र दिनांक 9.2.2004 के संबंध में न्यायालय एडीजे क्रम -3 में वाद सं० 7/2016 व कोटा एज्युकेशन द्वारा खरीद किये गये विक्रय पत्र के संबंध में वाद सं० 5/15 जेरकार है। साथ ही वर्णित आराजी ख० नं० 79 रकबा 0.28 है० व ख० नं० 80 रकबा 0.05 है० आराजी के संबंध में न्यायालय एडीजे क्रम-3 कोटा में वाद जेरकार होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना जेरअपील निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि विक्रय पत्र दिनांक 6.12.2000 को निरस्त किये जाने का वाद सं० 24/14 न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कोटा द्वारा दिनांक 7.4.2015 को खारिज कर दिया इस प्रकार सिविल न्यायालय द्वारा वर्णित आराजी पर रेस्पों का किसी प्रकार का वैधानिक अधिकार स्वीकार नहीं करने के बावजूद भी इंतकाल को खारिज करने में त्रुटि की है। इंतकाल सं० 30 के संबंध में आलेखित वसीयत के बावत सिविल न्यायालय में नियमित वाद जेरकार है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2018 निरस्त किया जावे एवं इंतकाल नम्बर 30 दिनांक 1.10.1990 ग्राम बोरखंडी को बहाल किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण में बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुये प्रकरण में लिखित बहस पेश की जिसका संक्षिप्त सार है कि ग्राम बोरखंडी स्थिति आराजी का पारीबाई की मृत्यु के उसके द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 7.6.82 के आधार पर भंवरलाल के नाम तस्दीक नामा० सं० 30 दिनांक 1.10.90 तस्दीक किया गया। जिसकी अप्रसन्नता से नाथूलाल द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर कोटा में अपील सं० 103/2014 प्रस्तुत की गई जिसे दिनांक 13.11.2018 को स्वीकार कर तहसीलदार लाडेपुरा को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय विधि न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना इंतकाल सं० 30 को खारिज करने का आदेश प्रदान कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कोई ध्यान नहीं दिया कि मृतक भीमा के स्वर्गवास के बाद उक्त आराजी का उनकी पत्नी पारी बाई के नाम इंतकाल तस्दीक किया गया जिसमें किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। पारीबाई की मृत्यु उपरांत जरिये वसीयत दिनांक 7.6.82 से भूमि भंवरलाल के नाम दर्ज हुई जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं है। मृतका पारी बाई की पुत्रिया भूरी बाई व श्रवणी बाई द्वारा घोषणा खातेदारी का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में पेश किया गया उक्त वाद गुणावगुण पर खारिज किया गया जिसके विरुद्ध भूरीबाई व श्रवणीबाई द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील पेश की उक्त अपील को भूरीबाई व श्रवणी द्वारा विद्धो किया गया इस प्रकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा का आदेश एवं डिक्री बहाल रहने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पों की अपील स्वीकार कर ली जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। उक्त आराजी के संबंध में रेस्पों क्रम-1 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमें ही पक्षकारान के मध्य विवाद का अंतिम रूप से निस्तारण हो सकेगा। रेस्पों क्रम-1 द्वारा वर्ष 2014 में वर्ष 1990 में तस्दीक इंतकाल की अधीनस्थ न्यायालय में लगभग 24 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की है। इस अवधि में वर्णित आराजी का बेचान हो चुका है जिनको पक्षकार बनाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। उक्त वर्णित आराजी के संबंध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क, ख) उत्तर कोटा में वाद जेरकार है इसके बावजूद भी इंतकाल खारिज करने का आदेश प्रदान कर अधीनस्थ न्यायालय त्रुटि की है।



 न्यायालय


अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का मय शपथ पत्र विस्तृत रूप से जवाब प्रस्तुत किया था जिसका रेस्पो0 क्रम-1 द्वारा किसी प्रकार का खण्डन नहीं करने बावजूद भी 24 वर्षों बाद प्रस्तुत अपील में मियाद कण्डोन किये जाने का आदेश प्रदान कर त्रुटि की है। अपीलांट ने रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का मय शपथ पत्र विस्तृत रूप से जवाब प्रस्तुत किया था जिसका रेस्पो0 क्रम-1 द्वारा किसी प्रकार का खण्डन नहीं करने बावजूद भी 24 वर्षों बाद प्रस्तुत अपील में मियाद कण्डोन किये जाने का आदेश प्रदान कर त्रुटि की है। धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र में दिनांक 6.12.2000 से 10.2.14 तक की अवधि को कण्डोन करने की सहायता चाही गई जबकि अपील दिनांक 5.3.14 को प्रस्तुत की गई। इस प्रकार दिनांक 28.2.2014 से 5.3.2014 के लगे समय को कण्डोन किये जाने की किसी प्रकार की सहायता नहीं चाहने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील कण्डोन किये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर त्रुटि की है। रेस्पो0 क्रम-1 द्वारा अपने अपील में वर्णित इंतकाल की जानकारी 10.2.2014 को अपील में के मद नं0 9 में वर्णित किया है तथा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में जानकारी होना वर्णित किया है उक्त तथ्यों को अपीलांट द्वारा लिखित बहस में व जवाब धारा 5 मियाद अधि0 में विस्तृत रूप से उल्लेखित करने के बावजूद भी उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपील को अंदर मियाद होना मानते हुये स्वीकार कर लिया जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। रेस्पो0 छोटीबाई का पुत्र हो व छोटीबाई के रेस्पो0 के अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं हो उक्त तथ्य के संबंध में किसी प्रकार की साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है जिसकी आपत्ति अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत लिखित बहस में की गई जिसका किसी प्रकार से रेस्पो0 क्रम-1 द्वारा खण्डन नहीं किया गया। रेस्पो0 क्रम-1 का वर्णित आराजी से कभी कोई संबंध व आराजी पर कब्जा नहीं रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.3.2018 वास्ते न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा एवं जेरकार निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर तक स्थगित किये जाने बावत खारिज कर त्रुटि की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही जेरअपील आदेश पारित कर त्रुटि की है। इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि न्यायालय अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-3 कोटा में जेरकार वाद एवं अपीलांट द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में अनुसंधान अधिकारी द्वारा की गई जांच के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिन्हे नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय पारित कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वर्णित तथ्यों पर गौर किये बिना जेरअपील निर्णय पारित किया है जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायालय अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-3 कोटा में जेरकार वाद एवं अपीलांट द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में अनुसंधान अधिकारी द्वारा की गई जांच के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिन्हे नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय पारित कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान नहीं दिया कि पारीबाई द्वारा आलेखित वसीयत दिनांक 7.6.1982 से पारीबाई के स्वर्गवास के बाद इंतकाल नं0 30 दिनांक 1.10.1990 से अपीलांट क्रम-1 के नाम इंतकाल तस्दीक किया गया तत्पश्चात अपीलांट क्रम-1 द्वारा ग्राम बोरखण्डी स्थित आराजी अपीलांट क्रम-2 सुगनाबाई को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 9.2.2004 से बेचान कर कब्जा दिया गया व शेष 0.06 है0 आराजी रेस्पो0 क्रम-13 को दिनांक 26.11.2002 को बेचान किया गया जिसका इंतकाल नम्बर 186 दिनांक 2.5.2003 तस्दीक किया गया। अपीलांट सं0 2 के पक्ष में आलेखित विक्रय पत्र दिनांक 9.2.2004 के संबंध में न्यायालय एडीजे क्रम -3 में वाद सं0 7/2016 व कोटा एज्युकेशन द्वारा खरीद किये गये विक्रय पत्र के संबंध में वाद सं0 5/15 जेरकार है। साथ ही वर्णित आराजी ख0 नं0 79 रकबा 0.28 है0 व ख0 नं0 80 रकबा 0.05 है0 आराजी के संबंध में न्यायालय एडीजे क्रम-3 कोटा में वाद जेरकार होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना जेरअपील निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि विक्रय पत्र दिनांक 6.12.2000 को निरस्त किये जाने का वाद सं0 24/14 न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कोटा द्वारा दिनांक 7.4.2015 को खारिज कर दिया इस प्रकार सिविल न्यायालय द्वारा वर्णित आराजी पर रेस्पो0 का किसी प्रकार का वैधानिक अधिकार स्वीकार नहीं करने के बावजूद भी इंतकाल को खारिज करने में त्रुटि की है। बहस में यह भी वर्णित किया कि इंतकाल सं0 30 के संबंध में आलेखित वसीयत के बावत सिविल न्यायालय में नियमित वाद जेरकार है। अपने कथन के समर्थन में डीएनजे 2002 वो.2 सुप्रीम कोर्ट पेज 346 इंतकाल समरी प्रोसीडिंग है जिसमें स्वत्व का निर्धारण नहीं होता, आरआरटी 2018 वो. प्रथम पेज 769 आदेश एवं डिक्री प्रभावी है तो उसको चुनौती दिया जाना चाहिये। एसएलटी 205 वी (2007) सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 215 वसीयत के दावे के जेरकार रहते वसीयत के आधार पर तस्दीक किये गये इंतकाल को निरस्त नहीं किया जा सकता। आरआटी 2016-17 पेज 181 महिला को कोई भी सम्पत्ति कही से भी प्राप्त हो वह उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति मानी जाती है जिसका उसको वसीयत आदि करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। डीएनजे राज0 1996 पेज 738 आरबीजे 2012 राज0 हाई कोर्ट पेज नम्बर 786, आरबीजे 2010 राज0 हाई कोर्ट पेज नं0 289, आरआरटी 2014 वो. प्रथम पेज नम्बर 154 प्रस्तुत अपील बाहर है। आरबीजे 2005 सुप्रीम कोर्ट पेज 735 मियाद के प्रार्थना पत्र के निर्णय करते समय न्यायालय अंतर निहित शक्तियां का इस्तेमाल कर मियाद के प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं कर सकता। आरआरटी 2018 वो. II पेज 879, आरबीजे 2006 हाई कोर्ट पेज नं0 78 आरआरटी 2015 वो. प्रथम पेज नम्बर 168 आरआरटी 2009 वो. प्रथम पेज नम्बर 179 एआईआर 1964 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 1336 एसीसी 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 4475 मियाद बाहर अपील पर मियाद के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना अपील का मेरिट पर निर्णय नहीं किया जा सकता। आरबीजे 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज नं0 810 मियाद कण्डोन किये बिना न्यायालय प्रकरण को मेरिट पर सुनवाई नहीं कर सकता। आरआरटी 2003 वो. प्रथम हाई कोर्ट पेज नम्बर 650 आरआरटी 2013 वो. II पेज नम्बर 881, आरआरटी 2019 वो. I पेज नम्बर 495 जहां नियमित वाद जेरकार हो वहां पर इंतकाल की कार्यवाही पर ध्यान नहीं दिया

बाद. सं. बाद. 0
केस

जाना चाहिये। एआईआर 2008 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 2139 आरआरटी 2017 वो.॥ पेज नम्बर 870 आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी पर आदेश प्रदान किये बिना दस्तावेज को पढा नही जा आरआरटी 2016/17 पेज 219 बावत 30 वर्ष बाद इंतकाल की अपील कर्ई व्यक्तियों को बेचान बाद मे पुत्री द्वारा दावा किया जिस पर न्यायालय द्वारा अपील खारिज की और वर्णित किया कि 30 वर्ष बाद अपील करने का कोई आधार नही है अधिकार प्राप्ति हेतु दावा करना चाहिये। आरआरटी 2018 वो. ॥ पेज 1057 वसीयत आदि के विवाद मे दावा करना चाहिये, आरआरटी 2013 वो. ॥ पेज नम्बर 841 आरआरटी 2009 वो. ॥ पेज 729 रजिस्टर्ड दस्तावेज को किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नही कर दिया जाता तब तक रजिस्टर्ड दस्तावेज की सही होने की उपधारणा की जाएगी। उक्त न्यायिक नजीरों के परिपेक्ष्य मे अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2018 निरस्त किया जावे एवं इंतकाल नम्बर 30 दिनांक 1.10.90 ग्राम बोरखंडी को बहाल किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम-1 एवं रेस्पो0 क्रम-2/1 ता 2/5 व 2/6/1ता 2/6/4 एवं 3,4,5,6 7, 8, 9, 10 ने बहस मे बताया कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नामा0 सं0 30 दिनांक 1.10.1990 ग्राम बोरखंडी सम्पूर्ण तथ्यो की जांच किये बिना तस्दीक किये जाने से नामा0 त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक होने से प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जेरअपील से निरस्त किया है। बहस मे बताया कि स्थिति ख0 नं0 76 की 1.54 है0, ख0 नं0 79 की 0.28 है0, ख0 नं0 80 की 0.05 है0 कुल किता 3 की 1.87 है0 भूमि का नामा0 सं0 30 पारी बाई द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर भंवरलाल के पक्ष मे तस्दीक किया गया है। उक्त इंतकाल सं0 30 मे मृतक भीमा के परिवार का सजरा अंकित नही किया है जबकि भीमा के मृत्यु के समय अपीलांत की माता छोटी, भूरी व श्रवणी पुत्रियां मौजूद थी। ग्राम बोरखंडी की भूमि मे से भीमा के 1/3 हिस्से की भूमि पारीबाई बेवा के नाम गलत रूप से दर्ज होने के कारण भंवरलाल ने पारीबाई से उक्त भूमि की वसीयत भीमा का पुत्र बताकर अपने पक्ष मे दिनांक 7.6.1982 को आलेखित करा कर पंजीयन करवाली और उसके आधार पर ग्राम बोरखण्डी की समस्त भूमियां अपने नाम दर्ज करवाली और उसके आधार पर 1/3 हिस्से की भूमि को भंवरलाल ने अपने नाम नामा0 सं0 30 अवैध रूप से दर्ज करवा लिया और उसके आधार पर ग्राम बोरखंडी की समस्त भूमियां अपने नाम दर्ज करवाली उनमे से दिनांक 9.2.2004 को ख0 नं0 76 की 1.48 है0 भूमि जरिये विक्रय पत्र सुगनाबाई को दिनांक 30.5.05 को ख0 नं0 79 की 0.28 है0 भूमि जरिये विक्रय पत्र बजरंगलाल को बेचान करदी दिनांक 21.11.2005 को ख0 नं0 80 की 0.05 है0 भूमि जरिये विक्रय पत्र बजरंगलाल को बेचान करदी तथा ख0 नं0 76 रकबा 0.06 है0 भूमि जरिये विक्रय पत्र कोटा एजुकेशन को बेचान कर दी जो अवैध है। उक्त बेचान प्रभावहीन होने से कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। परीक्षण न्यायालय द्वारा बिना सूचना दिये नामा0 तस्दीक किया गया था इस कारण परीक्षण न्यायालय के आदेश की सर्वप्रथम जानकारी 10.2.2014 को होने पर नकल प्राप्त कर रूपयो के इंतजाम कर लगने वाला समय मुजरा करने पर अधीनस्थ न्यायालय मे अपील अवधि मध्य पेश की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर नामा0 सं0 30 खारिज प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को विवादित भूमि से संबधित विभिन्न न्यायिक प्रकरणो की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर समस्त प्रभावित पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय ने डिले कन्डोन कर अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष निहित नही है। अपील खारिज की जावे।

5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम-11 ने प्रकरण मे लिखित बहस पेश की जिसका संक्षिप्त मे सार है कि रेस्पो0 नाथूलाल की ओर से अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय मे अपील पेश की गई थी। उसमे वर्णित तथ्यो एवं साक्ष्यो से परे जाकर निर्णय पारित किया है जबकि रेस्पो0 की ओर से पूर्व मे उपरोक्त बेचान की गई जमीन के संबध मे पुलिस मे कार्यवाही की गयी थी उन कार्यवाहियो मे कोई सार नही मानते हुए एफआरपेश करदी थी तथा आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय ने उपरोक्त विक्रय पत्रो को निरस्त नही किया है विक्रय पत्र आज तक भी प्रभावी है। उन्ही विक्रय पत्रो के आधार पर इंतकाल तस्दीक हो चुके है जिसे निरस्त नही किया जा सकता। स्वयं रेस्पो0 भूरीबाई, श्रवणी, घोंसीबाई व अन्य द्वारा एक बाद पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा के यहां पेश किया जो निरस्त हुआ उसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी के यहां पेश की जिसे विडो कर लिया इससे स्पष्ट है कि रेस्पो0 द्वारा जो वाद पत्र उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां पेश किया था जिसमे भी कोई सफलता रेस्पो0 नाथूलाल व अन्य को नही मिली तथा उसके बावजूद भी इस बिन्दू पर गौर किए बिना जेरअपील निर्णय 13.11.2018 पारित कर दिया जो विधि विरुद्ध है। प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी के साथ संलग्न दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय मे पेश नही हो सके थे जो न्यायालय हाजा मे पेश किये गये है दस्तावेज सुसंगत होने से रिकार्ड पर लिया जावे। प्रकरण मे पुलिस द्वारा सम्पूर्ण जांच करने के उपरांत एफआर पेश की थी जो न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना जेरअपील निर्णय पारित किया है। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यो से स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजी को पूर्व मे रजिस्टर्ड विक्रय पत्रो के माध्यम से बेचान हो चुका है बेचान आज तक प्रभावी है। अतः अपील स्वीकार किये जाने मे कोई आपत्ति नही है। अपील स्वीकार की जावे।


वति. स. वाव. 0
केस

हमने पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख तथा प्रकरण में प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का आध्योपांत अवलोकन कर बहस एवं लिखित बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। प्रश्नगत अपील प्रकरण में दस्तावेजात रिकार्ड पर लिये जाने बावत अपीलांत द्वारा दिनांक 9.5.2019 प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश किया गया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर बहस अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपियां सुसंगत दस्तावेज व प्रकरण के निर्णय में सहायक होने से न्यायहित में रिकार्ड पर लिये जाते हैं। पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख अनुसार विवादित आराजी ग्राम बोरखंडी का नामा० सं० 30 दिनांक 1.10.1990 पारीबाई द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर पारीबाई की मृत्यु उपरांत भंवरलाल के पक्ष में तस्दीक किया गया है जिसे रेस्पो० क्रम 1 नाथूलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश कर इस आधार पर चुनोती दी गई कि इंतकाल तस्दीक करते समय इस बावत का कतई ध्यान नहीं रखा कि कि वसीयत दिनांक 7.6.1982 ग्राम नयानोहरा की भूमि के संबध में भंवरलाल के पक्ष में लिखना बताया गया जबकि इंतकाल ग्राम नयानोहरा स्थिति भूमि का न खोला जाकर ग्राम बोरखंडी की पुराने नम्बर नये खसरा नम्बरान बताकर भंवरलाल के पक्ष में आपस की मिली भगत कर इंतकाल सं० 30 तस्दीक करवा लिया जो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि ग्राम बोरखंडी की भूमि के बावत कोई वसीयत आलेखित नहीं गई है। उक्त इंतकाल में मृतक भीमा के परिवार का सजरा अंकित नहीं किया है जबकि भीमा के मृत्यु के समय अपीलांत की माता छोटी, भूरी व श्रवणी पुत्रियां मौजूद थीं। ग्राम बोरखंडी की भूमि में से भीमा के 1/3 हिस्से की भूमि पारीबाई बेवा के नाम गलत रूप से दर्ज होने के कारण भंवरलाल ने पारीबाई से उक्त भूमि की वसीयत भीमा का पुत्र बताकर अपने पक्ष में दिनांक 7.6.1982 को आलेखित करा कर पंजीयन करवाली और उसके आधार पर ग्राम बोरखंडी की समस्त भूमियां अपने नाम दर्ज करवाली और उसके आधार पर 1/3 हिस्से की भूमि को भंवरलाल ने अपने नाम नामा० सं० 30 अवैध रूप से दर्ज करवा लिया और उसके आधार पर ग्राम बोरखंडी की समस्त भूमियां अपने नाम दर्ज करवाली बाद में अन्यत्र बेचान कर दिया जो अवैध है। उक्त बेचान प्रभावहीन होने से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। परीक्षण न्यायालय द्वारा बिना सूचना दिये नामा० सं० 30 तस्दीक किया गया इस कारण परीक्षण न्यायालय के आदेश की सर्वप्रथम जानकारी 10.2.2014 को होने पर नकल प्राप्त कर रूपों के इंतजाम कर लगने वाला समय मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य पेश कर अपील स्वीकार कर नामा० सं० 30 ग्राम बोरखंडी खारिज कर मृतक खातेदार भीमा के 1/3 हिस्से की भूमि का नामा० उनके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर कोटा ने निर्णय दिनांक 13.11.2018 से नाथूलाल द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय की अपील को स्वीकार कर नामा० सं० 30 ग्राम बोरखंडी खारिज कर प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को विवादित भूमि से संबधित विभिन्न न्यायिक प्रकरणों की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर समस्त प्रभावित पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। प्रश्नगत अपील प्रकरण में अपीलांत का मुख्य तर्क है कि "मृतक भीमा के स्वर्गवास के बाद उक्त आराजी का उनकी पत्नी पारी बाई के नाम इंतकाल तस्दीक किया गया तथा पारीबाई द्वारा भंवरलाल के पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार नामा० सं० 30 दिनांक 1.10.1990 तस्दीक किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। आराजी के संबध में रेस्पो० क्रम-1 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमें ही पक्षकारान के मध्य विवाद का अंतिम रूप से निस्तारण हो सकेगा। रेस्पो० क्रम-1 द्वारा इंतकाल सं० 30 ग्राम बोरखंडी को 24 वर्ष बाद वर्ष 2014 में अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश कर चुनोती दी है जिसका कोई समुचित व युक्तियुक्त कारण नहीं है जबकि अपीलांत को इंतकाल की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है। इस अवधि में वर्णित आराजी का बेचान हो चुका है जिनको पक्षकार बनाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। उक्त वर्णित आराजी के संबध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क, ख) उत्तर कोटा में वाद जेरकार है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो० द्वारा धारा 5 धारा 5 मियाद अधि० के प्रार्थना पत्र में दिनांक 6.12.2000 से 10.2.14 तक की अवधि को कण्डोन करने की सहायता चाही गई जबकि अपील दिनांक 5.3.14 को प्रस्तुत की गई। इस प्रकार दिनांक 28.2.2014 से 5.3.2014 के लगे समय को कण्डोन किये जाने की किसी प्रकार की सहायता नहीं चाहने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील कण्डोन किये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर त्रुटि की है। रेस्पो० क्रम-1 द्वारा अपने अपील में मेमो में वर्णित इंतकाल की जानकारी 10.2.2014 को अपील में मेमो के मद नं० 9 में वर्णित किया है तथा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में जानकारी होना वर्णित किया है उक्त तथ्यों को अपीलांत द्वारा लिखित बहस में व जवाब धारा 5 मियाद अधि० में विस्तृत रूप से उल्लेखित करने के बावजूद भी भी उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपील को अंदर मियाद होना मानते हुये स्वीकार कर लिया जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांत का यह भी तर्क रहा है कि रेस्पो० छोटीबाई का पुत्र हो व छोटीबाई के रेस्पो० के अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं हो उक्त तथ्य के संबध में किसी प्रकार के साक्ष्य सबूत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना व प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का निस्तारण किये बिना ही जेरअपील निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है"। अपीलांत के तर्क के संबध में पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख से स्पष्ट है कि विवादित आराजी ग्राम बोरखंडी के नामा० सं० 30 दिनांक 1.10.1990 के विरुद्ध रेस्पो० क्रम-1 नाथूलाल द्वारा वर्ष 2014 को लगभग 24 वर्ष बाद अपील विलम्ब से पेश की गई जो मियाद बाहर थी। इंतकाल समरी प्रोसीडिंग है जिसमें स्वत्व का निर्धारण नहीं होता, आदेश एवं डिक्री प्रभावी है तो उसको चुनोती दिया जाना चाहिये। पारीबाई द्वारा आलेखित पंजीकृत वसीयत दिनांक 7.6.1982 के संबध में नाथूलाल द्वारा सिविल न्यायाधीश (क.ख.) उत्तर कोटा में वाद प्रस्तुत कर रखा है जो जेरकार है वसीयत के दावे के जेरकार रहते वसीयत के आधार पर तस्दीक किये गये इंतकाल को निरस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि रजिस्टर्ड वसीयत को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता तब तक

रजिस्टर्ड दस्तावेज की सही होने की उपधारणा की जायेगी तथा अंतिम निर्णय सिविल न्यायालय का ही मान्य रहेगा। पारी बाई को वर्णित आराजी भी से प्राप्त हुई है जिसकी वसीयत करने का उसे अधिकार प्राप्त होता है तथा जहां पर वसीयत आदि का विवाद हो साथ ही अधिकारों का निस्तारण करना हो इस संबंध में अपील नहीं कर दावा कर घोषणा कराना चाहिये। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निर्णय करते समय न्यायालय अंतर निहित शक्तियां का इस्तेमाल कर मियाद के प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं कर सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बाहर अपील पर मियाद के प्रार्थना पत्र का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किये बिना तथा प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का निस्तारण किये बिना जेरअपील निर्णय पारित कर त्रुटि किया जाना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख से प्रकट होता है कि विवादित भूमि के संबंध में विभिन्न प्रकरण राजस्व न्यायालयों एवं सिविल न्यायालयों में विचाराधीन है तथा फर्जी दस्तावेज के संबंध में पुलिस में मुकदमा भी दर्ज हुआ है जिसमें एफ.आर. दी गई जो न्यायालय से स्वीकार की जाना प्रकट होता है ऐसी स्थिति में जहां विवादित आराजी को लेकर विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन रहते अथवा नियमित वाद जेरकार हो वहां पर इंतकाल की कार्यवाही को 24 वर्ष बाद बिना कोई आधार के नाथूलाल द्वारा प्रस्तुत अपील को अवधि मध्य मानते हुये इंतकाल सं० 30दिनांक 1.10.1990 ग्राम बोरखंडी को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता जबकि पत्रावली में विलम्ब माफ करने का कोई समुचित व युक्तियुक्त आधार भी मौजूद नहीं है। उक्त विवेचित तथ्यों के संदर्भ में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत उक्त न्यायिक उद्धरण चस्पा होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में समुचित तथ्यों का परीक्षण किये बिना जेरअपील निर्णय दिनांक 13.11.2018 पारित कर विवादित आराजी के नामान्तरकरण सं० 30 को खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को न्यायोचित नहीं पाते हैं। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट क्रम-11 द्वारा प्रस्तुत काउंटर अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर कोटा द्वारा प्रकरण सं० 103/14 (अपील) नाथूलाल बनाम नारायण वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 13.11.2018 अपास्त किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 24.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सर्वे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति० सभागीय आयुक्त
कोटा